



डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

दूरभाष - 05278-245957
फैक्स - 05278-248123

पत्रांक संख्या : लो०अ०वि०/सम्ब०/2021/4446

दिनांक : 08/02/2021

सेवा में,

प्रबन्धक/प्राचार्य,
आर०के० स्मारक महिला महाविद्यालय,
नरियांव, अम्बेडकरनगर।

महोदय,


मुझसे यह सूचित करने की अपेक्षा हुई है कि कुलपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-2 (13) के अन्तर्गत दिनांक: 15.08.2020 को आपके महाविद्यालय की नवगठित प्रबन्ध समिति जो निम्नोक्त है, पर सहर्ष अनुमोदन प्रदान कर दिया है। प्रबन्ध समिति का कार्यकाल दिनांक 15.08.2020 से 14.08.2025 तक विधिमान्य होगा।

| क. | नाम | पिता/पति का नाम | पद |
|----|--------------------------------|---|------------|
| 1 | श्री गंगा प्रसाद | श्री राम पलट | प्रबन्धक |
| 2 | श्री सुनील कुमार | श्री बनवारी लाल | अध्यक्ष |
| 3 | श्री अवधेश कुमार | श्री राम पलट | उपाध्यक्ष |
| 4 | श्री रमेश चन्द्र | श्री राजमन | कोषाध्यक्ष |
| 5 | श्री राम अवध | श्री बनारसी | सदस्य |
| 6 | श्रीमती ललिता | पति-श्री वेद प्रकाश यादव पिता-प्रेमराज | सदस्य |
| 7 | श्री हरिश्चन्द्र | श्री राम केवल | सदस्य |
| 8 | प्राचार्य | | पदेन सदस्य |
| 9 | शिक्षक प्रतिनिधि | | पदेन सदस्य |
| 10 | शिक्षणेत्तर कर्मचारी प्रतिनिधि | | पदेन सदस्य |

कम संख्या 09 एवं 10 के पदेन सदस्य चकानुकम से 01 वर्ष हेतु।

महाविद्यालय प्रबन्ध समिति का उपरोक्त अनुमोदन इस प्रतिबन्ध के अन्तर्गत है कि प्रबन्ध समिति के अनुमोदन हेतु महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण/शपथ में भविष्य में कोई तथ्य त्रुटिपूर्ण/गलत पाया जाता है तो महाविद्यालय के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी जिसका दायित्व स्वयं महाविद्यालय का होगा।

भवदीय,


कुलसचिव